सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **177/2018** दायर दिनाँक **07.06.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. छोटूराम पुत्र चतराराम, उम्र–50साल, जाति–मेघवाल, निवासी–थेबड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. शंकरलाल पुत्र पाँचूराम, 2. भागूराम पुत्र मेवाराम, (फौत), के वारिसान्– 02/01 पुषीदेवी पत्नी स्वर्गीय भागूराम, उम्र–70साल, 02/02 रामदेवराम पुत्र स्वर्गीय भागूराम, उम्र–50साल, 02/03 प्रेमाराम पुत्र स्वर्गीय भागूराम, उम्र–45साल, 3. प्रभुराम पुत्र कुम्भाराम, 4. प्रेमाराम पुत्र भागूराम, 5. हनुमानप्रसाद पुत्र हेमाराम, 6. अनिल पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल पुत्र स्वर्गीय सुरजाराम, 7. पतासी पत्नी स्वर्गीय सुरजाराम, 8. घनश्याम पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल पुत्र स्वर्गीय सुरजाराम, नाबालिग जरिये माता सीतादेवी, 9. सीतादेवी पत्नी स्वर्गीय भँवरलाल पुत्र स्वर्गीय सुरजाराम, 10. चौथूराम पुत्र स्वर्गीय सुरजाराम, 11. महावीर पुत्र स्वर्गीय सुरजाराम, 12. नोरतमल पुत्र स्वर्गीय सुरजाराम, 13. शांति पुत्री स्वर्गीय सुरजाराम, 14. विमला पुत्री स्वर्गीय सुरजाराम, 15. अंगूरी पुत्री स्वर्गीय सुरजाराम, 16. राजू पुत्री स्वर्गीय सुरजाराम,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		17. चूँका पुत्री स्वर्गीय सुरजाराम, समस्त,जाति–रैगर, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 18. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक 17.01.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री वीरेन्द्रसिंह राठौड़, वकील, वादी व श्री ईस्लामुदीन, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 03 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद तोषीणा में वादग्रस्त खसरा की भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ/1" में दर्शित/अंकित भूमि माफिक, निम्नानुसार खातेदारी आदेश पारित किये जाते हैं:–

1. खेत खसरा नम्बर 1471/810 रकबा 04.00 बीघा सम्पूर्ण नजरीनक्शा में दर्शित मार्क B C H I भूमि का वादी छोटूराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज खातेदार, प्रतिवादी संख्या 03 प्रभुराम, का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।
2. खेत खसरा नम्बर 1472/810 रकबा 07.19 बीघा भूमि में से, नजरीनक्शा में दर्शित मार्क C D G H भूमि रकबा 03.19 बीघा का वादी छोटूराम को तथा शेष नजरीनक्शा में दर्शित मार्क D E F G भूमि रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 प्रभुराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज खातेदारान् प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 17 के नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाये जाते हैं।

पक्षकारान्/खातेदारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ/1", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....
.....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–.....
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 17.01.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **177/2018** दायर दिनाँक **07.06.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. छोटूराम पुत्र चतराराम, उम्र—50साल, जाति—मेघवाल, निवासी—थेबड़ी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. शंकरलाल पुत्र पाँचूराम, 2. भागूराम पुत्र मेवाराम, (फौत), के वारिसान्— 02/01 पुषीदेवी पत्नी स्वर्गीय भागूराम, उम्र—70साल, 02/02 रामदेवराम पुत्र स्वर्गीय भागूराम, उम्र—50साल, 02/03 प्रेमाराम पुत्र स्वर्गीय भागूराम, उम्र—45साल, 3. प्रभुराम पुत्र कुम्भाराम, 4. प्रेमाराम पुत्र भागूराम, 5. हनुमानप्रसाद पुत्र हेमाराम, 6. अनिल पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल पुत्र स्वर्गीय सुरजाराम, 7. पतासी पत्नी स्वर्गीय सुरजाराम, 8. घनश्याम पुत्र स्वर्गीय भँवरलाल पुत्र स्वर्गीय सुरजाराम, नाबालिग जरिये माता सीतादेवी, 9. सीतादेवी पत्नी स्वर्गीय भँवरलाल पुत्र स्वर्गीय सुरजाराम, 10. चौथूराम पुत्र स्वर्गीय सुरजाराम, 11. महावीर पुत्र स्वर्गीय सुरजाराम, 12. नोरतमल पुत्र स्वर्गीय सुरजाराम, 13. शांति पुत्री स्वर्गीय सुरजाराम, 14. विमला पुत्री स्वर्गीय सुरजाराम, 15. अंगूरी पुत्री स्वर्गीय सुरजाराम, 16. राजू पुत्री स्वर्गीय सुरजाराम, 17. चूँका पुत्री स्वर्गीय

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 177/2018
दायर दिनाँक 07.06.2018, निर्णय दिनाँक 17.01.2019
छोटूराम बनाम् शंकरलाल, वगैरा।

		सुरजाराम, समस्त,जाति–रैगर, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 18. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री वीरेन्द्रसिंह राठौड़, वकील, वादी।
2. श्री ईस्लामुदीन, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 03 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 17.01.2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद तोषीणा में खसरा नम्बर 810 रकबा 11.19 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड में, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04 व 05 के तथा खसरा नम्बर 1471/810 रकबा 04.00 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 03 के तथा खसरा नम्बर 1472/810 रकबा 07.19 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 17 का संयुक्त खातेदार के रूप सहवन से दर्ज है। उक्त भूमि, खसरा नम्बर 810 रकबा 23.18 बीघा की ही भूमि है। नकलें वर्तमान खतौनी पेश है।

सरहद मौजा तोषीणा के पुराने खसरा नम्बर 810 रकबा 23.18 बीघा भूमि के खातेदार सुरजाराम पुत्र कुम्भाराम, बाबूड़ी पत्नी पूर्णाराम, सरस्वती पुत्री पूर्णाराम ने वादी छोटूराम को दिनाँक 15.09.2008 को अपने हक हिस्से का 1/3 भाग जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के बैचाण करके उक्त भूमि पर वादी को कब्जा सम्भला दिया। उक्त विक्रय–पत्र,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

तहसील कार्यालय डीडवाना में पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 260 में पृष्ठ संख्या 16 क्रम संख्या 2008002127 पर पंजीबद्ध किया गया। उक्त विक्रय–पत्र की प्रति वाद संलग्न है जिसे वाद संलग्न नजरीनक्शा "अ" में दर्शाया गया है।

सरहद मौजा तोषीणा के पुराने खसरा नम्बर 810 रकबा 23.18 बीघा भूमि के 1/3 भाग में, उपर्युक्त विक्रय–पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1288 वादी के नाम से दर्ज हो गया परन्तु फिर उक्त खेत में से वादी को भूमि का बैचाण करने वाले एक खातेदार सुरजाराम का नाम राजस्व कर्मचारियों दर्ज कर दिया जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 03 प्रभुराम द्वारा पेश राजस्व वाद–पत्र संख्या 172/2014 में स्वर्गीय सुरजाराम के विधिक वारिसान् गलत रूप से प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 14 तक का नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जबकि प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 14 के पूर्वज स्वर्गीय सुरजाराम द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी को बैचा किया हुआ था। उक्त वाद में वादी को प्रतिवादी संख्या 18 बनाया हुआ था तथा उक्त वाद के वादी ने मिलीभगत करके प्रतिवादी संख्या 18 पर नोटिस तामिल न करके मिथ्या नोटिस चस्पा करना बताया जिसमें गवाह के तौर पर दूसरे गाँव के व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाकर नोटिस की चस्पानगी दिखाकर के न्यायालय से निर्णय करवाया गया। उकत निर्णय दिनाँक 14.03.2015 को पारित करवाया गया है जिसमें वादी के हिस्से में उक्त वाद के वादी ने अपना हिस्सा इस वाद के वादी छोटूराम की खरीदसुदा व कब्जासुदा भूमि संलग्न नक्शा अनुसूची "अ" में अंकित को दर्शाते हुए पालना करवा ली। उक्त खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 23.18 बीघा के नये खसरान्– खसरा नम्बर 810 रकबा 11.19 बीघा की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04 व 05 के तथा खसरा नम्बर 1471/810 रकबा 04.00 बीघा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 03 के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

व खसरा नम्बर 1472/810 रकबा 07.19 बीघा की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण 06 ता 17 के दर्ज की गयी।

वाद संलग्न नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि पर काबिज चला आ रहा है परन्तु प्रतिवादीगण उक्त खेताय में वादी का 1/3 हक हिस्से में दर्ज न होने का फायदा उठाकर वादी को बेदखल करना चाहते हैं तथा गलत खातेदारी की ओट में उक्त भूमि को किसी अन्य को बैचाण करने की नीयत दिखाई दे रही है। जब वादी ने प्रतिवादीगण को औलमा दिया तो प्रतिवादीगण के नहीं मानने पर वादी ने वादग्रस्त भूमि के अभिलेख की नकले प्राप्त की तो पता कि उसका नाम उस खेत के 1/3 भाग भूमि से कम भूमि पर ही दर्ज है जबकि इस खेत की 1/3 भाग भूमि में वादी का जरिये विक्रय–पत्र से उक्त भूमि खरीद करने पर दर्ज हो रखा था। इसलिए वादी को यह वाद पेश करना लाजमी आया है।

बिनाय दावा वादग्रस्त भूमि की खातेदारी उपर्युक्तानुसार होने से प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल करने की धमकी देने के बाद उत्पन्न हुआ जो लगातार हो रहा है।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद तोषीणा में खेत खसरा नम्बर 1471/810 रकबा 04.00 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 03 प्रभुराम व खेत खसरा नम्बर 1472/810 रकबा 07.19 बीघा में प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 17 तक का नाम खातेदारी में से हटाया जाकर, वाद संलग्न नजरीक्शा अनुसूची "अ" मे दर्शित अनुसार खेत खसरा नम्बर 1471/810 रकबा 04.00 बीघा सम्पूर्ण भूमि में वादी की खातेदारी तथा खेत खसरा नम्बर 1472/810 रकबा 07.19 बीघा भूमि में से रकबा 03.19 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के तथा इसी खसरा नम्बर 1472/810 की शेष रकबा 04.00 बीघा भूमि प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

संख्या 03 के नाम की अलग से खातेदारी घोषित की जाकर बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के किया जावे। वादी के हक में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 18 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 01 व 03 ता 18 के बावजूद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 02 भागूराम की फौतगी व उसके कायम मुकाम का प्रार्थना–पत्र वकील वादी की ओर से पेश हुआ जिसे नियमानुसार स्वीकार किया गया तथा कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिया गया।

प्रतिवादी संख्या 03 प्रभुराम की ओर से पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. नियमानुसार स्वीकार हुआ।

प्रतिवादी संख्या 03 प्रभुराम की ओर से जवाब पेश हुआ जिसमें वाद असहमति की मंशा जाहिर की है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी ने दावा माफिक दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस के दौरान वकील वादी ने नजरीनक्शा अनुसूची "अ/1" पेश कर दलील पेश कर इस्तदुआ की कि, पूर्व राजस्व वाद संख्या 172/14 में निर्णय व डिक्री दिनाँक 14.03.2015 में प्रभूराम पुत्र कुम्भाराम को रकबा 04.00 बीघा भूमि में तथा रकबा 03.09.10 बीघा की खातेदारी छोटूराम पुत्र चतराराम को दी गयी व 03.09.10 बीघा की खातेदारी सुरजाराम के वारिसान को दी गई थी जबकि प्रभूराम पुत्र कुम्भाराम को रकबा 04.00 बीघा की तथा छोटूराम पुत्र चतराराम को रकबा 07.19 बीघा भूमि की खातेदारी दी जानी थी व सुरजाराम के वारिसान् का उक्त भूमि में कोई

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

हक-हकूक नहीं था। इसलिए अब खसरा नम्बर 1471/810 रकबा 04.00 बीघा सम्पूर्ण की खातेदारी वादी छोटूराम पुत्र चतराराम को दी जावे तथा इसके राजस्व रिकॉर्ड में से वर्तमान में दर्ज खातेदार प्रभुराम पुत्र कुम्भाराम का हटाया जावे व शेष भूमि रकबा 03.19 बीघा को खसरा नम्बर 1472/810 रकबा 07.19 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसूची "अ/1" में दर्शित मार्क सी डी जी एच को वादी के हक में घोषित किया जावे तथा 1472/810 रकबा 07.19 बीघा में से शेष भूमि नजरीनक्शा अनुसूची "अ/1" में दर्शित मार्क डी ई एफ जी रकबा 04.00 बीघा की खातेदारी प्रभुराम के हक में रखी जावे, अर्थात नजरीनक्शा "अ/1" में दर्शित अनुसार भूमि की खातेदारी पक्षकारान् के घोषित की जावे।

वकील वादी ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि, वादग्रस्त भूमि सरहद तोषीणा के मूल पूर्व खसरा नम्बर नम्बर 810 रकबा 23.18 बीघा थे जिसके खातेदार सुरजाराम, बाबुड़ी व सरस्वती ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 भाग जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के छोटूराम पुत्र चतराराम को दिनाँक 15.09.2008 को बेचाण कर दी थी जिसके अनुसार छोटूराम के नाम से नामान्तरकरण संख्या 1288 दर्ज हो गया बावजूद बेचाण के तकनिकी सहवन से पुनः सुरजाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। पूर्व राजस्व वाद संख्या 172/14 में निर्णय व डिक्री दिनाँक 14.03.2015 के फलस्वरूप सुरजाराम की फौतगी से उसके वारिसान् तथा प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जबकि सुरजाराम, बाबुड़ी व सरस्वती ने उपर्युक्त डिक्री दिनाँक 14.03.2015 से पूर्व ही अपना सम्पूर्ण हिस्सा दिनाँक 15.09.2008 को वादी के पक्ष में बेचाण कर चुके थे इस स्थिति में सुरजाराम के वारिसान् का नाम पुनः दर्ज हो जाना कतई जायज नहीं था। मगर पूर्व दिग्गर वाद में वादी छोटूराम को मुगालता में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

रखकर तथा उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए बिना मौका मुआयना के ही मौका काबिजविरूद्ध दावा डिक्री किया गया है।

वकील प्रतिवादी ने अपने द्वारा पेश जवाब दावा का हवाला देते हुए दलील वकील वादी मुताबिक दावा डिक्री किये जाने में अपनी मंशा जाहिर की। दलील वकील वादी पर मनन् करने के बाद तथा मिसल पर उपलब्ध रिकॉर्ड के परिप्रेक्ष्य में गणावगुण के आधार पर वाद के परीक्षण में वादी का वाद का साबित होना पाया जाता है।

अतः अब साबिक खेत खसरा नम्बर 1471/810 रकबा 04.00 बीघा सम्पूर्ण, नजरीनक्शा अनुसूची "अ/1" में दर्शित मार्क B C H I भूमि की खातेदारी वादी छोटूराम के घोषित की जाना तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज खातेदार, प्रतिवादी संख्या 03 प्रभुराम, का नाम हटायाा जाना और खेत खसरा नम्बर 1472/810 रकबा 07.19 बीघा भूमि में से, नजरीनक्शा अनुसूची "अ/1" में दर्शित मार्क C D G H भूमि रकबा 03.19 बीघा की खातेदारी वादी छोटूराम के घोषित की जाना तथा इस खसरे की शेष भूमि नजरीनक्शा अनुसूची "अ/1" में दर्शित मार्क D E F G भूमि अनुसार रकबा 04.00 बीघा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 03 प्रभुराम के घोषित की जाना व इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज शेष खातेदारान् प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 17 के नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाये जाना, अज अदालत को जायज लगता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, निम्नलिखित आदेश माफिक दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 177/2018
दायर दिनाँक 07.06.2018, निर्णय दिनाँक 17.01.2019
छोटूराम बनाम् शंकरलाल, वगैरा।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद तोषीणा में वादग्रस्त खसरा की भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ/1" में दर्शित/अंकित भूमि माफिक, निम्नानुसार खातेदारी आदेश पारित किये जाते हैं:–

1. खेत खसरा नम्बर 1471/810 रकबा 04.00 बीघा सम्पूर्ण नजरीनक्शा में दर्शित मार्क B C H I भूमि का वादी छोटूराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज खातेदार, प्रतिवादी संख्या 03 प्रभुराम, का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।
2. खेत खसरा नम्बर 1472/810 रकबा 07.19 बीघा भूमि में से, नजरीनक्शा में दर्शित मार्क C D G H भूमि रकबा 03.19 बीघा का वादी छोटूराम को तथा शेष नजरीनक्शा में दर्शित मार्क D E F G भूमि रकबा 04.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 प्रभुराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज खातेदारान् प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 17 के नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाये जाते हैं।

पक्षकारान्/खातेदारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पावन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ/1", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 17.01.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner